प्र.सं. 38/2018 श्रीमती पतीबाई व अन्य बनाम हिम्मतराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पारडा में आराजी नंबर 623, 624, 805, 811, 813 कुल किता 5 रकबा 0.5500 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 465 मी, 492, 496 थे। उक्त समस्त भूमि स्वर्गीय हीरालाल जी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिनका सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर प्रार्थी संख्या 1 उनकी पत्नी, प्रार्थी संख्या 2 व 3 पुत्रियां तथा विपक्षी संख्या 4 पुत्र है, भोश प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 के वारिस हैं। इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में प्रार्थी संख्या 1 से 3 व विपक्षी संख्या 1 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा होकर पक्षकारान मौखिक बंटवारे अनुसार इसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु हीरालाल जी की मृत्यु पर विरासत का नामान्तरकरण अकेले विपक्षी संख्या 1 के नाम स्वीकृत हो जाने से राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया है एवं इसका नाजायज लाभ उठाकर उक्त आराजियात में से आराजी नंबर 623 व 624 जिसका कुल रकबा 0.1900 हैक्टर हैं में से 0.1000 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 2 व 3 को विक्रय कर दी, जो प्रार्थीगणों के मुकाबले बेअसर व भून्य है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 07.07.2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23.07.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री रो नलाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री अरूण व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय की जानकारी उन्हें दिनांक 06.07.2018 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में कण्डोन की जावे। ताईद में	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:07 IST
Reason: SelfAttested

शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर प्रकरण को बिना समझे अस्थायी निशेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि विवादित भूमि मौरूसी जायदाद होकर अपीलान्टगण का जन्म से हक अधिकार है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्टगण को अस्थायी निशेधाज्ञा से रोका जाना आव यक है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2017 को 17.08.2017 के लिए पे ी नियत की गयी, किन्तु इसके पूर्व ही दिनांक 07.07.2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पर खारिज कर दिया, जिससे स्पश्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 37/2014 निर्णय दिनांक 07.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं सुनकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.02.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:07:07 IST
Reason: SelfAttested

(एम. [illegible] चौहान)
[illegible] अधिकारी
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर